

LR
4/1/18

2018/00109

06/18
P.S.18

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(श्री राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महीदय

~~सेवा~~

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के सम्बन्ध में
महीदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कुरलान काठल
की जमाबंदी संवत् 2072-2075 खाता सं. 502 में
नाम काण का 504 दर्ज करते वक्त प्रार्थी का नाम आरक
वल्द खालू दर्ज किया गया है मेरा सही नाम
दिनेश है मेरे आधार कार्ड, वेटर आईडी कार्ड में
दिनेश 5/0 श्री खालू नाम दर्ज है। मुझे लोग
तथा मेरे परिवार वाले दिनेश 5/0 खालू के नाम से पुकारते
अतः मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध नाम दिनेश वल्द
खालू किये जाने की गैरखानी करावे।

उसका वास्तविक नाम दिनेश है दिनेश नाम शुद्ध
किया जाना उचित है

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश परमाने की कृपा करें।

हरजी

दिनांक

शकराशु

दिनेश

प्रार्थी

06/18
4.5.18

रिपोर्ट पटवारी व नू अभिलेख निरीक्षण

प्रार्थी का नाम आरव के अग्र दिनेश किया जाना उचित है। यदि स्थान रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम आरव वरु शवाल दर्ज है। वास्तव में प्रार्थी का नाम आरव कार्ड, Election ID Card में दिनेश दर्ज है। प्रार्थी को लोग दिनेश के नाम से जानते हैं। लिहाजा स्थान रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम आरव के स्थान पर दिनेश किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

रिपोर्ट तहसीलदार / ताम्र तहसीलदार 4/5/18
पंचायत अध्यक्ष (रजिस्ट्रार)

पटवारी / नू-नू निरीक्षण की जांच रिपोर्ट में सामान साक्ष्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम आरव वरु शवाल के स्थान पर दिनेश वरु शवाल इरान करने की सिफारिश की जाती है।

आदेश
तहसीलदार सिविल, IPR सुदूर का कला, पटवारी हल्का सुदूर का तलाश प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना का संक्षिप्त दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का अर्जन पत्र खींचा कर प्रार्थी का नाम आरव वरु शवाल के स्थान पर शुभ नाम दिनेश वरु शवाल पुरस्कृत करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार तहसीलदार सेइवा के वजन रिकॉर्ड में कमलदरामद कले का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फाइल शुमार ठेकट दखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी
चौहटन